आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी........................संख्या– 07 सन् 2017–18

केश का प्रकार:– एन0एच0 104 में मुआवजा भुगतान हेतु।

अर्जीकार– देवचन्द्र सिंह

प्रतिपक्षी:– सरकार (सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदा0) एवं प्रोजेक्ट पदाधिकारी, एन0एच0104 सीतामढ़ी।

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
9-6-18	प्रस्तुत वाद आवेदक देवचन्द्र सिंह पेसर स्व0 हरिनंदन सिंह, मौजा–पोतगाह, थाना–हरलाखी,अंचल–हरलाखी के आवेदन पर प्रारम्भ किया । इनके आवेदन का मुख्य अंश है कि राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण एवं चौड़ीकरण हेतु सरकार द्वारा उनके भूमि का अर्जन किया गया किन्तु आवासीय जमीन का मुआवजा नहीं देकर कृषि जमीन करके मुआवजा निर्धारण कर नियम का उल्लंघन किया गया। सक्षम प्राधिकार को निर्देशित किया जाय कि आवेदक की अर्जित भूमि का आवासीय दर के आधार पर सूद के साथ मुआवजा का भुगतान आवेदक को करें। आवेदक के आवेदन पर वाद की प्रकिया प्रारम्भ करते हुये प्रतिपक्षी से पक्ष प्राप्त की गयी। आवेदक के आवेदन पर प्रतिपक्षी सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–1596/जि0भू0अ0दिनांक–26 जुलाई, 2017 से प्राप्त प्रतिवेदन का मुख्य अंश है:–एन0एच0 104 में अंचल–हरलाखी,, मौजा–पोतगाह खाता–........खेसरा–261 रकवा–0.008 हेक्टेयर, किस्म–भीठ, खेसरा–20 रकवा–0.036 हेक्टेयर, किस्म–कृषि एवं अंचल–हरलाखी मौजा–नहरनियाँ खाता........खेसरा–3888 रकवा–0.031 हेक्टेयर, किस्मकृषि , खेसरा–3890 रकवा–0.033 हेक्टेयर, किस्म–कृषि खेसरा–3884 रकवा–0.002 हेक्टेयर, किस्म–कृषि, खेसरा–3891 रकवा–0.167 हेक्टेयर, किस्म–कृषि का अर्जन किया गया है। अर्जित रकवा का किस्म का स्थल जॉच कर अधियाची विभाग कार्यपालक अभियंता–सह–पी0आई0यू0हेड एन0एच0104 राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, सीतामढ़ी द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव को कानूनगो द्वारा जॉच की गयी तत्पश्चात् अमीन द्वारा स्थल निरीक्षण कर खेसरा पंजी तैयार किया गया है जिसका पुनः निरीक्षक कानूनगो एवं तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं उसमे प्राप्त आपत्तियों का भी विधिवत् सुनवाई कर किस्म निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित खेसरा में भी उक्त सारी प्रकिया अपनाकर ही उस समय भूमि का जो स्वरूप था, उसी के अनुरूप ही किस्म का निर्धारण किया गया है। **निष्कर्ष:–** आवेदक का आवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर, सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अर्जन के समय भूमि का जो स्वरूप था उसी के अनुरूप किस्म का निर्धारण किया गया है। आवेदक का आवेदन किस्म परिवर्तन से संबंधित है किस्म परिवर्तन हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। **ऐसी स्थिति में आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुये वाद की प्रकिया समाप्त किया जाता है।** आदेश की प्रति सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को भेजें। आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं। **लेखापित** **मध्यस्थ पदाधिकारी–सह–** **अपर समाहर्ता, मधुबनी।** मध्यस्थ पदाधिकारी–सह अपर समाहर्ता, मधुबनी। 9/6/18 मध्यस्थ पदाधिकारी -सह अपर समाहर्त्ता मधुबनी मध्यस्थ पदाधिकारी -सह अपर समाहर्त्ता मधुबनी	